कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा अर्चना सिंघल, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खन्ना स्कीम न0 2 जिला अलवर को राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय गोपालगढ, पहाडी, नगर भरतपुर स्थानान्तरित किया गया था। जिसके विरूद्ध अर्चना सिंघल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3116/2019 अर्चना सिंघल बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर व अन्य दायर की गई

अपील संख्या 3116/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 05.11.19 द्वारा अपीलार्थिया की अपील माननीय अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को रिमाण्ड किया जाकर अपीलार्थिया को दिनांक 15.11.19 तक प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन पदानुरूप जिले में उपलब्ध रिक्त पदों का विवरण अंकित करते हुए प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। प्रत्यर्थी विभाग को उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विभागीय नियमों /निर्देशों के अनुरूप 15 दिवस में अपीलार्थिया के अभ्यावेदन को एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित करते हुए निस्तारित करने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

माननीय अधिकरण के आदेश के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में विधवा महिला होने व माता का स्वर्गवास होने के कारण पिताजी को संभालने आदि परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए अपना समायोजन अलवर जिले में राउमावि खन्ना स्कीम न0 02 अलवर में यथावत/राउमावि राजपुर छोटा, रैणी, अलवर किये जाने की मांग की गई है।

अपीलार्थिया के अभ्यावेदन का माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेश तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा –निर्देशों /नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थिया द्वारा चाहे गये विधालयों में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नही होने के कारण तथा अपीलार्थिया द्वारा स्थानान्तरित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय गोपालगढ, पहाड़ी जिला भरतपुर में दिनांक 13.11.19 को कार्यग्रहण कर लिये जाने के आधार पर अपीलार्थिया अर्चना सिंधल प्रधानाचार्या का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। संबंधित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील /अर्चना सिंघल/3116/2019 दिनांकः 29.11.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/भरतपुर ।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर/भरतपुर ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, अलवर/भरतपुर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)